HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 5694/2026

1. Saksham Kalra S/o Mahesh Kalra, Aged About 27 Years, R/o Chitawan Ki Gali, Akhepura Mohalla, P.S. Akhepura, District Alwar (Raj.) (At Present Confined In Central Jail Alwar).
2. Ansh Kalra S/o Mahesh Kalra, Aged About 23 Years, R/o Chitawan Ki Gali, Akhepura Mohalla, P.S. Akhepura, District Alwar (Raj.) (At Present Confined In Central Jail Alwar).

----Petitioners

Versus

State Of Rajasthan, Through PP

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Mohit Khandelwal
For Respondent(s)	:	Mr. Shree Ram Dhakar, PP

HON'BLE MR. JUSTICE PRAVEER BHATNAGAR

Order

07/05/2026

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु यह जमानत प्रार्थना पत्र भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 483 के अन्तर्गत पुलिस थाना– अखैपुरा, जिला– अलवर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या– 53/2026 अपराध अन्तर्गत धारा 318(2), 112(2) भारतीय न्याय संहिता, धारा 66डी सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम एवं धारा 3/4 राजस्थान सार्वजनिक द्यूत अध्यादेश में पेश किया गया है।

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विद्वान् अधिवक्ता का तर्क है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को प्रकरण में झूठा संबद्ध किया गया है। प्रकरण में प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरुद्ध यह आरोप है कि उनके द्वारा मोबाइल के माध्यम से आईपीएल मैच के दौरान सट्टा लगाया गया। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 112(2) भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत अपराध नहीं बनता है क्योंकि प्रकरण में इस प्रकार के तथ्य अभिलेख पर नहीं हैं कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण ने पूर्व में एक साथ संगठित होकर

किसी गिरोह का सदस्य होते हुए कोई अपराध कारित किया हो। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरुद्ध पूर्व में कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण लंबे समय से अभिरक्षा में चल रहे हैं एवं प्रकरण के विचारण में लंबा समय लगने की संभावना है। अतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को जमानत का लाभ दिया जाए।

विद्वान् लोक अभियोजक द्वारा जमानत आवेदन का विरोध किया गया। उनका तर्क है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण मोबाइल के माध्यम से दिनांक 04.04.2026 को मुंबई व दिल्ली के मध्य आईपीएल मैच के दौरान सट्टा लगाते हुए पाए गए थे और इस संदर्भ में उनके मोबाइल से संबंधित खाईवाली के रिकॉर्ड के स्क्रीनशॉट बरामद हुए हैं और सट्टे की राशि लगभग 2,63,360/– रुपये पाई गई है। इस प्रकार प्रार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा बिना लाइसेंस के खाईवाली की गई है। अतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का जमानत आवेदन अस्वीकार किया जाए।

बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

इस प्रक्रम पर प्रकरण के गुणावगुणों पर कोई टिप्पणी अपेक्षित नहीं है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरुद्ध पूर्व में कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण लंबे समय से अभिरक्षा में चल रहे हैं एवं प्रकरण के विचारण में लंबा समय लगने की संभावना है। अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए मैं प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का जमानत आवेदन स्वीकार किए जाने योग्य समझता हूँ।

परिणामतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण **1. सक्षम कालरा पुत्र महेश कालरा, 2. अंश कालरा पुत्र महेश कालरा** की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रत्येक प्रार्थी/अभियुक्त इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे तलब किया जावे, उपस्थिति हेतु पचास हजार रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र व पच्चीस–पच्चीस हजार रुपये की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां प्रस्तुत करे तथा उनकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो, तो अविलम्ब जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

(PRAVEER BHATNAGAR),J

MOHIT/ 43